भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्याः 171 /ई–निविदा/भू0खनि0ई0/उत्तरकाशी/निरस्त/2019–20, दिनांकः 01 मई, 2019

कार्यालय ज्ञाप

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून के ई–निविदा सह ई–नीलामी आमंत्रण प्रपत्र संख्या 015_Uttarkashi_Pasa_Mori_1.695ha/ई0निवि0सहई0नीला0/भू0खनि0ई0/2017–18, दिनांक 07 फरवरी, 2018 एवं संशोधित विज्ञापन संख्या 05/ई0निवि0सह0ई0नीला0/भू0खनि0ई0/2017–18, दिनांक 23 फरवरी, 2018 के द्वारा जनपद उत्तरकाशी के स्थायी निवासी अथवा स्थायी निवासियों की समिति, जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो के लिए जनपद उत्तरकाशी की तहसील मोरी के ग्राम पासा, क्षेत्रफल 1.695 है0 पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत रिक्त उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध बालू, बजरी, बोल्डर (आर0बी0एम0) को ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी।

2– उक्त उपखनिज क्षेत्र हेतु तकनीकी ई–निविदा दिनांक 12.03.2018 को खोली गयी थी। उक्त लॉट हेतु अधिकतम निर्धारित मात्रा 51975 टन एवं न्यूनतम निर्धारित मात्रा 25988 टन है। तदोपरान्त उक्त उपखनिज लॉट की वित्तीय निविदा दिनांक 19.03.2018 को खोली गयी।

3– उक्त लॉट हेतु दिनांक 12.03.2018 को खोली गयी प्रथम चरण की ई–निविदा में 03 निविदादाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। तकनीकी निविदा के मूल्यांकन का परिणाम 16.03.2018 को घोषित किया गया, जिसमें उक्त 03 निविदाकारों की तकनीकी बोली को स्वीकृत करते हुए वित्तीय ई–निविदा बोली दिनांक 19.03.2018 को खोली गयी। प्राप्त ई–निविदाओं का मूल्यांकन करते हुए समिति द्वारा सुसंगत नियमों के अधीन निम्नानुसार संस्तुति प्रदान की गयी है :–

तालिका– 1

क0सं0	आवेदक का नाम/निवासी	यूनिक आई/बिडर आई0डी0	आवेदक की वित्तीय बोली
1.	श्री शीशपाल सिंह रावत	34308/ M180309160751233	51,975 टन
2.	श्री राजवीर	34324/M180309161547413	51,975 टन
3.	श्री गिरीश कुमार उप्पल	34330/M180309163908613	51,975 टन

जनपद उत्तरकाशी की तहसील मोरी के ग्राम पासा, क्षेत्रफल 1.695 है0 पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत हेतु प्रथम चरण में ई–निविदा में प्राप्त अधिकतम चाही गयी अंकित मात्रा उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम–11(5) के अनुसार 51,975 टन प्राप्त हुई।

जनपद उत्तरकाशी की तहसील मोरी के ग्राम पासा, क्षेत्रफल 1.695 है0 पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत हेतु उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम–11 प्रथम चरण के अनुसार द्वितीय चरण की ई–नीलामी की न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) = 51,975x 35.00 = रू0 18,19,125.00 (रू0 अट्ठारह लाख उन्नीस हजार एक सौ पच्चीस मात्र) निर्धारित की गयी।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 65/ई0निवि0सहई0नीला0/परिणाम/प्र0च0/उत्तरकाशी/भू0खनि0ई0/2017–18, दिनांक 21 मार्च, 2018 के द्वारा जनपद उत्तरकाशी की तहसील मोरी के ग्राम पासा, क्षेत्रफल 1.695 है0 पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत हेतु समिति की संस्तुति पर प्रथम चरण की वित्तीय बोली के परिणाम के आधार पर द्वितीय चरण (ई–नीलामी) हेतु न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) रू0 18,19,125.00 (रू0 अट्ठारह लाख उन्नीस हजार एक सौ पच्चीस मात्र) निर्धारित की गयी।

4– ई–निविदा सह ई–नीलामी के द्वितीय चरण (ई–नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु उपरोक्त प्रथम चरण (ई–निविदा) के सफल निविदाकारों को कार्यालय के पत्र संख्या 015_Uttarkashi_Pasa_Mori_1.695ha/ई0निवि0सहई0 नीला0 /भू0खनि0ई0/2017–18, दिनांक 23 मार्च, 2018 के माध्यम से ई–निविदा सह ई–नीलामी आमंत्रण प्रपत्र जारी किया गया, जिसकी सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर, व्यक्तिगत दूरभाष तथा ई–मेल के द्वारा भी सभी उपरोक्त सफल निविदाकारों को दी गयी।

5– ई–निविदा सह ई–नीलामी के द्वितीय चरण (ई–नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु पूर्व निर्धारित तिथि 31.03.2018 सायं 5:00 बजे तक उक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं द्वारा https://eauction.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र एवं वांछित अभिलेख अपलोड कर प्रस्तुत किये गये है।

6– उपरोक्तानुसार तालिका–1 में वर्णित सभी 03 इच्छुक बोलीदाताओं के आमंत्रण प्रपत्र तथा उसके साथ संलग्न वांछित अभिलेखों का परीक्षण/मूल्यांकन करने के उपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं को ई–निविदा सह ई–नीलामी आमंत्रण प्रपत्र में वर्णित तिथि एवं समय पर ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की अनुमति कार्यालय ज्ञाप संख्या 36/ई–निविदा सह ई–नीलामी/भू0खनि0 ई0/2017–18, दिनांक 04 अप्रैल, 2018 के द्वारा प्रदान की गयी।

ई–नीलामी (द्वितीय चरण) में प्रतिभाग करने हेतु अनुमत किये गये निविदाकारों/बोलीदाताओं द्वारा दिनांक 05 अप्रैल, 2018 को अपराह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक पूर्व निर्धारित समयान्तर्गत ई–नीलामी प्रकिया में प्रतिभाग किया गया, जिसके ऑन लाईन परिणाम eauction.uk.gov.in software के द्वारा ऑनलाईन परिणाम निम्नानुसार प्राप्त हुए है :–

क0सं0	बिडर मास्क्ड आई0डी0	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रू0
1.	20181304312577	05 अप्रैल, 2018 अपराह्न 12:53 बजे	1864600.00

प्रतिभाग/निविदाकारों/बोलीदाताओं की संख्या 01 प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू0 18,64,600.00 (रू0 अट्ठारह लाख चौसठ हजार छः सौ मात्र) उक्त तालिका में वर्णित है।

7– ई– ऑक्शन सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं की माक्स्ड आई0डी0 हटाते हुए निम्नानुसार परिणाम प्रस्तुत किये गये, जिसकी घोषणा कार्यालय ज्ञाप संख्या 58/ई–निविदा सह ई–नीलामी/भू0खनि0ई0/ 2017–18, दिनांक 09 अप्रैल, 2018 के द्वारा की गई :–

क0 सं0	ई–ऑक्शन सॉफ्टवेयर में बिडर माक्स्ड आई0डी0/नाम (विभागीय वेबसाइट द्वारा निर्गत पंजीकरण सं0)	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रू0	उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (संशोधित) 2017 के सुसंगत नियम 27 ग उपनियम द्वितीय चरण 5 के द्वारा
1	20181304312577/ Rajveer (M180309161547413)	05 अप्रैल, 2018 अपराह्न 12:53 बजे	1864600.00	H1

8– कार्यालय ज्ञाप संख्या 58/ई–निविदा सह ई–नीलामी/भू0खनि0ई0/ 2017–18, दिनांक 09 अप्रैल, 2018 के द्वारा ई–ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियम 27 (ग) उप नियम द्वितीय चरण (5) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1 घोषित किया गया।

09– कार्यालय ज्ञाप संख्या 58/ई–निविदा सह ई–नीलामी/भू0खनि0ई0/ 2017–18, दिनांक 09 अप्रैल, 2018 द्वारा श्री राजवीर (M180309161547413) को जनपद उत्तरकाशी की तहसील मोरी के ग्राम पासा, क्षेत्रफल 1.695 है0 पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत उपखनिज क्षेत्र से कुल 51975 टन उपखनिज की निकासी हेतु उनके द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली की कुल धनराशि रू0 18,64,600.00 (रू0 अट्ठारह लाख चौसठ हजार छः सौ मात्र) को ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया के आवंटन हेतु H1 घोषित करते हुए को सूचित किया गया कि वे उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) के अनुसार तीन दिन के अन्तर्गत बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि सफल बोलीदाता धनराशि अर्थात रू0 1,86,460.00 (रू0 एक लाख छियासी हजार चार सौ साठ मात्र) एवं नियम– 28 ख (3) के अनुसार सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत दस प्रतिशत धनराशि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि अर्थात रू0 1,86,460.00 (रू0 एक लाख छियासी हजार चार सौ साठ मात्र) विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाईट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां कार्यालय में जमा करायें, ताकि तद्नुसार उनके पक्ष में आशय पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही सम्पन्न की जा सके। H1 ई–नीलामी बोलीदाता श्री राजवीर द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 58/ई–निविदा सह ई–नीलामी/भू0खनि0ई0/2017–18, दिनांक 09 अप्रैल, 2018 का अनुपालन न करते हुए उच्चतम बोली

धनराशि का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" एवं उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिंव पट्टाधारक धनराशि" निर्धारित समयान्तर्गत जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 58/ई–निविदा सह ई–नीलामी/भू0खनि0ई0/2017–18, दिनांक 09 अप्रैल, 2018 के क्रम में श्री राजवीर के द्वारा उच्चतम बोली रू0 18,64,600.00 (रू0 अट्ठारह लाख चौसठ हजार छः सौ मात्र) का दस प्रतिशत सफल बोलीदाता धनराशि चालान संख्या 00127, दिनांक 05.05.2018, रू0 1,86,460.00 (रू0 एक लाख छियासी हजार चार सौ साठ मात्र) एवं दस प्रतिशत प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि चालान संख्या 00103, दिनांक 16.05.2018, रू0 1,86,460.00 (रू0 एक लाख छियासी हजार चार सौ साठ मात्र) विभागीय लेखाशीर्षक में जमा कराये जाने के दृष्टिगत इस कार्यालय के पत्र संख्या 410/ई–निविदा सह ई–नीलामी/भू0खनि0ई0/ उत्तरकाशी/2018–19, दिनांक 21 मई, 2018 के द्वारा आशय पत्र जारी किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया।

उक्त के क्रम में शासन के पत्र संख्या 1244/VII–1/2018/33ख/18, दिनांक 21 जून, 2018 के द्वारा अवगत कराया गया कि ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन किये जाने हेतु जनपद उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ के अधिकांश प्रकरणों में उच्चतम बोली की राशि में आधार मूल्य से अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई है, जबकि अन्य जनपदों में 10 से 15 गुना तक की वृद्धि हुई है। जनपद उत्तरकाशी तहसील मोरी ग्राम पासा के क्षेन्त्रान्तर्गत कुल 1.695 है0 उपखनिज क्षेत्र की ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया में Pooling की संभावना प्रतीत होती है, के दृष्टिगत ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया की जांच करते हुए संस्तुति सहित आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। शासन के पत्र के क्रम में कार्यालय आदेश संख्या 790/स्थापना/भू0खनि0ई0/2018–19, दिनांक 07 जुलाई, 2018 के द्वारा श्री जी0डी0 प्रसाद, उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक एवं प्रभारी ई–गर्वनेंस को जांच अधिकारी नामित करते हुए आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक एवं प्रभारी ई–गर्वनेंस के पत्र संख्या 230/जांच उ0का0/नो0आई0टी0/भू0खनि0ई0 /2018–19, दिनांक 17 अक्टूबर, 2018 के द्वारा जांच आख्या उपलब्ध कराई गई, जिसे इस कार्यालय के पत्र संख्या 1915/ई–निविदा सह ई–नीलामी/ भू0खनि0ई0/ 2018–19, दिनांक 28 नवम्बर, 2018 के द्वारा शासन को प्रेषित किया गया।

अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या 3020/VII–1/19/33ख/2018, दिनांक 11 जनवरी, 2018 के द्वारा जनपद उत्तरकाशी तहसील मोरी ग्राम पासा के क्षेत्रान्तर्गत 1.695 है0 रिक्त क्षेत्र में उपलब्ध (बालू, बजरी, बोल्डर) को ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन किये जाने हेतु संपन्न की गयी ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभागी बोलीदाताओं के मध्य Pooling हेतु स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होने के दृष्टिगत शासन द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र हेतु की गयी ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करते हुए उक्त लॉट हेतु पुनः ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया संपादित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 24 के अनुसार ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया के दौरान ऐसा प्रकरण जिसका उल्लेख इस शासनादेश में वर्णित किया जाना रह गया हो अथवा पूर्णतः स्पष्ट न किया जा सका हो ऐसे प्रकरणों पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को अन्तिम निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई तत्सम्बन्धी अन्य शासनादेशों/अनुदेशों का अनुसरण कर व्याखापित करते हुये निर्णय दे सकेगा, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई का निर्णय अन्तिम होगा एवं सर्व पक्षों को मान्य होगा।

प्रश्नगत क्षेत्र की ई–निविदा सह ई–नीलामी के द्वितीय चरण में सफल घोषित 03 निविदादाताओं में से मात्र 01 निविदादाता श्री राजवीर के द्वारा प्रतिभाग किया गया। उक्त निविदा में प्रतिभाग करने हेतु प्रतिभागी निविदादाताओं के द्वारा निम्नवत् धनराशि/शुल्क जमा कराई गयीः–

प्रतिभागी निविदादाता का नाम	जमा शुल्कों का विवरण		
	ई0एम0डी0 धनराशि	सफल बोलीदाता धनराशि	प्रोस्पेक्टिंव पट्टाधारक धनराशि
श्री राजवीर	यूको बैक द्वारा जारी डी0डी0 संख्या 995099, दिनांक 06.03.2018, रू0 4,54,781.00	चालान सं0 00127, दिनांक 05.05.2018, रू0 1,86,460.00	चालान सं0 00103, दिनांक 16.05.2018, रू0 1,86,460.00

उपरोक्त के दृष्टिगत शासन के पत्र संख्या 3020/VII–1/19/33ख/2018, दिनांक 11 जनवरी, 2018 के क्रम में जनपद उत्तरकाशी तहसील मोरी ग्राम पासा के क्षेत्रान्तर्गत 1.695 है0 की निविदा की कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

प्रतिभागी निविदादाता एच1 श्री राजवीर के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिका के अनुसार जमा उच्चतम बोली की 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि", 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिंव पट्टाधारक धनराशि" उक्त मद में शासन से बजट प्राप्त होने पर विभाग द्वारा उन्हें पृथक से वापस की जायेगी। एच1 बोलीदाता श्री राजवीर के द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने हेतु अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा यूको बैक, विकासनगर, देहरादून द्वारा जारी डी0डी0 संख्या 995099, दिनांक 06.03.2018, रू0 4,54,781.00 एवं प्रश्नगत निविदा के प्रथम एवं द्वितीय चरण में प्रतिभाग करने वाले अन्य निविदादाता क्रमशः श्री शीशपाल सिंह रावत के द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने हेतु अर्नेस्ट मनी के रूप में यूको बैक, विकासनगर, देहरादून द्वारा जारी डी0डी0 संख्या 995100, दिनांक 06.03.2018, रू0 4,54,781.00 एवं श्री गिरीश कुमार उप्पल के द्वारा भी निविदा में प्रतिभाग करने हेतु अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा यूको बैक, विकासनगर, देहरादून द्वारा जारी डी0डी0 संख्या 995101, दिनांक 06.03.2018, रू0 4,54,781.00 को पृथक से प्रतिभागी निविदाकारो के अनुरोध पर उन्हें वापस किया जायेगा।

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
निदेशक

संख्याः /ई–निविदा/भू0खनि0ई0/उत्तरकाशी/निरस्त/2019–20, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी उत्तरकाशी।
3. प्रभारी अधिकारी लेखा, भूतत्व एवं खनिकर्म को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रतिभागी निविदादाता एच1 श्री राजवीर के द्वारा जमा उच्चतम बोली की 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 1,86,460.00 एवं 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिंव पट्टाधारक धनराशि" रू0 1,86,460.00, कुल रू0 3,72,920.00 की मांग का प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने हेतु कार्यवाही करें।
4. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई उत्तरकाशी।
5. प्रतिभागी निविदाकार नाम से।

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
निदेशक